

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमार्क एक 4 () पंराज/पोलो/RGSY/2009-10/ 1046

जयपुर दिनांक 18.12.2009

:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::

जिला परिषदों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र प्रवर्तित "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" के अन्तर्गत निम्नांकित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण विस्तार/परिवर्धन/ मरम्मत हेतु कॉलम संख्या 7 के अनुसार कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर एतद्वारा जारी की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	भवन रहित पंचायतों का विवरण			कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
		पंचायत समिति	भवन संख्या	ग्राम पंचायत		
1	2	3	4	5	6	7
1	भीलवाडा	माण्डल	1	अमरगढ	पं० भवन विस्तार	1.25
			1	आलगास	पं० भवन विस्तार	1.25
			1	आमदला	पं० भवन विस्तार	1.25
			1	बेमाली	पं० भवन विस्तार	1.25
			1	मभाणा		1.25
		कोटडी	1	रेडवास	सभा भवन	1.25
			1	आसोप	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	1.25
			1	कोटाज	सभा भवन	1.25
			1	ब्रडलियास	पं० भवन विस्तार	1.25
			1	गैन्दलिया		1.25
		माण्डलगढ	1	भागटला	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.75
			1	जस्सु जी काखेडा	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	1.00
			1	सस्थला	पं०भ० मरम्मत	1.00
			1	धामणिया	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	1.00
			1	गोपालपुरा	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	1.00
		बनेडा	1	राक्षी	पं० भवन विस्तार	1.25
			1	दवराणा	पं० भवन मरम्मत	1.25
			1	धलदरखा	पं० भवन मरम्मत	1.25
			1	वालेसरा	पं० भवन मरम्मत	1.25



	शाहपुरा	1	बानणिया	पं० भवन मरम्मत	1.25	
		1	तस्वारिया बांसा	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	सणगारी	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	माताजी का खेडा	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	ईटडिया	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	सांगरिया	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	कोठिया	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	ढीकोला	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
	जहाजपुर	1	ऊँचा	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	1.25	
		1	सरसिया	पं० भवन विस्तार	1.25	
		1	मनोहरपुरा	पं० भवन विस्तार	1.25	
		1	भरणीकला	पं० भवन विस्तार	1.25	
		1	भगुनगर	पं० भवन विस्तार	1.25	
	आसीन्दा	1	बोरला	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	बाजुन्दा	पं० भवन मरम्मत	0.50	
		1	मोगर	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	रघुनाथपुरा	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	मोतीपुर	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	भोजपुरा	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	पालडी	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	आमेसर	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
		1	बदनोर	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	0.50	
		1	भादसी	शौचालय व स्नानघर निर्माण	0.50	
	सुवाणा	1	आमलीगढ	पं०भ० मरम्मत एवं विस्तार	1.25	
		1	आरजीया	पं० भवन विस्तार	1.25	
		1	आटुण	पं० भवन विस्तार	1.25	
		1	बरडोद	पं० भवन विस्तार	1.25	
	सहाडा	1	कांगणी	पं० भवन मरम्मत	1.00	
		1	भूणास	पं० भवन मरम्मत	1.25	
		1	सुरावास	पं० भवन मरम्मत	1.00	
		1	सातलियास	पं० भवन मरम्मत	1.00	
	जिला भीलवाडा योग	50			47.50	
	2	पाली	रायपुर	1	कलालिया	पं० भवन विस्तार


रायपुर	1	कानूजा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	झाला की चोंकी	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	सैन्दडा	पं० भवन विस्तार	1.25
रानी	1	बिजोवा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	चांचोडी	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	सिवास	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	माण्डल	पं० भवन विस्तार	1.25
रोहट	1	भाकरीवाला	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	निम्बली उडा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	रोहट	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	झीतडा	पं० भवन विस्तार	1.25
पाली	1	बाणियावास	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	भांगेसर	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	भांवरी	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	बोमादडा	पं० भवन विस्तार	1.25
जैतारण	1	डिगरणा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	भूमबलिया	पं० भवन विस्तार	1.25
देसूरी	1	बडौद	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	कोट सोलंकियान	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	डायलानाकलां	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	आना	पं० भवन विस्तार	1.25
मा०जं०	1	मुसालिया	पं०भ० मरम्मत कार्य	1.25
	1	हेमलियावास खुर्द	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	बोरीमादा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	धूंधला	पं०भ० मरम्मत कार्य	1.00
	1	जाणुन्दा	पं० भवन विस्तार	0.25
	1	फुलाद	पं० भवन मरम्मत कार्य	1.25
सोजत	1	चण्डावल स्टेशन	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	गागुडा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	हरियामाली	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	धीनावास	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	खोडिया	पं० भवन विस्तार	1.25

धुमरपुर	1	अनापपुरा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	बलपुरा	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	बसंत	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	दिरगी	पं० भवन विस्तार	1.25
	1	दुजाना	पं० भवन विस्तार	1.25
जिला पाली योग	38			46.25
महायोग	88			93.75

उक्त स्वीकृति पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक टी-11013/05/2007-टीआरजी. दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 की अनुपालना में जारी की जा रही है।


शर्तें:-

1. निर्माण कार्य तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद ही शुरु किया जावे।
2. ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट भापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुए ही निर्माण कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
3. निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम तकनीकी अधिकारी से मय विस्तृत ऐस्टीमेट दो प्रतिव्यों में शीघ्र भिजवाये ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।
4. स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि राज्य मद से एवं 75 प्रतिशत राशि केन्द्र मद से उपलब्ध कराई जावेगी, उक्तानुसार 88 ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण विस्तार/परिवर्धन/ मरम्मत हेतु जिला परिषद/पंचायत समिति से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में उक्तानुसार स्वीकृत राशि कॅलम संख्या 7 में अंकित राशि से अधिक राशि इस योजना मद से स्वीकृत नहीं की जावेगी।


 शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय) पंचायती राज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा एवं पाली।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल, हुरडा, कोटडी, माण्डलगढ, बनेडा, शाहपुरा, जहाजपुर, आसीन्दा, सुवणा एवं महाडा जिला (भीलवाडा) एवं रायपुर, रानी, पाली, जैतारण, देसूरी, मा०जं०, सोजत एवं सुन्दरपुर जिला (पाली)।


 अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)